

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 16, 1967/माघ 27, 1888

No. 30] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 16, 1967/MAGHA 27 1888

इस भाग में भिन्न वृष्ट संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रकाश संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

LOK SABHA

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February 1967

No. 46/1/CI/67.—The following paragraph published in the Lok Sabha Bulletin—Part II, dated the 15th February, 1967, is hereby published for general information:—

"No. 1922.

Amendments to Directions by the Speaker under the Rules of Procedure of Lok Sabha.

In pursuance of rules 28, 283(1) and 389 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Fifth Edition), the Speaker has made the following amendments to the Directions:—

DIRECTION 9

1. For the existing Direction 9, the following shall be substituted, namely:—

"(c) Ballot relating to Private Members' Resolutions

9. *Procedure relating to ballot.*—(1) The names of all members who give notices under rule 170 that they wish to move resolutions on a day allotted for private members' resolutions, shall be balloted

(2) There shall be a separate ballot for each day allotted for private members' resolutions.

(3) The time and place for holding the ballot shall be announced in Bulletin--Part II.

(4) The members who secure the first three places in the ballot shall be requested to give notice of one resolution each within two days after the date of the ballot."

DIRECTION 16

2. In clause (iv) of Direction 16, for the words "twenty-four hours", the words "one week" shall be substituted.

DIRECTION 58

3. In Direction 58, for the word "tendered", the word "given" shall be substituted.

DIRECTION 65

4. In clause (2) of Direction 65, for the word "tendered", the word "given" shall be substituted.

DIRECTION 70

5. In clause (1) of Direction 70, for the word "tendered", the word "given" shall be substituted.

6. After Direction 96, in heading (d), for the words "Committee on Estimates and Committee on Public Accounts", the words "Committee on Estimates, Committee on Public Accounts and Committee on Public Undertakings" shall be substituted.

DIRECTION 96A

7. In Direction 96A:—

(a) for the words "the Committee on Estimates and the Committee on Public Accounts", the words "the Committee on Estimates, the Committee on Public Accounts and the Committee on Public Undertakings" shall be substituted.

(b) for the words and figures "rules 311(1) and 309(1)", the words and figures "rules 311(1), 309(1) and 312B(1)," shall be substituted.

(c) in the marginal heading for the words "Committees on Estimates and Public Accounts", the words "Committees on Estimates, Public Accounts and Public Undertakings" shall be substituted.

DIRECTION 97

8. In Direction 97:—

(a) in clause (1), after the words "Committee on Public Accounts", the words "or the Committee on Public Undertakings" shall be inserted.

(b) in clauses (2) and (3), for the words "Public Accounts", wherever they occur, the words "the Committee on Public Accounts or the Committee on Public Undertakings" shall be substituted.

(c) in the marginal heading after the words "Public Accounts", the words "Public Undertakings" shall be inserted.

DIRECTION 97A

9. In Direction 97A:—

(a) in clauses (1) and (2), after the words "Committee on Public Accounts", wherever they occur, the words "or the Committee on Public Undertakings" shall be inserted.

- (b) in clause (3), for the words "Public Accounts", wherever they occur, the words "the Committee on Public Accounts or the Committee on Public Undertakings" shall be substituted.
- (c) in the marginal heading, after the words "Public Accounts", the words "/Public Undertakings" shall be inserted.

DIRECTION 99

10. In Direction 99:—

- (a) in clause (1), for the words "Public Accounts", the words "the Committee on Public Accounts or the Committee on Public Undertakings" shall be substituted.
- (b) in clauses (1) and (2), after the word "Ministry", wherever it occurs, the words "or undertaking" shall be inserted.
- (c) in the marginal heading, after the words "Public Accounts", the words "/Public Undertakings" shall be inserted.

DIRECTION 100

11. In Direction 100:—

- (a) after the words "Public Accounts", the words "/Public Undertakings" shall be inserted.
- (b) after the words "Government of India", the words "or a public undertaking" shall be inserted.
- (c) in the marginal heading, after the words "Public Accounts", the words "/Public Undertakings" shall be inserted.

DIRECTION 101A

12. For the existing Direction 101A, the following shall be substituted:—

101A. "Procedure for conducting the business of Committee on Estimates in regard to the examination of Statutory and Government organisations.—The following procedure shall be adopted by the Committee on Estimates in examining the estimates relating to Statutory and Government organisations which do not come within the purview of the Committee on Public Undertakings:—

- (i) A standing sub-Committee of the Committee on Estimates on Statutory and Government organisations may be appointed under rule 263(1) of the Rules of Procedure at the beginning of each year after the constitution of the Committee on Estimates.
- (ii) The members of the sub-Committee shall be nominated by the Chairman from amongst the members of the Committee
- (iii) The sub-Committee may call for information or hear officials or take any other evidence connected with the estimates of the Statutory or Government organisation under examination.
- (iv) On completion of the examination of the estimates of a Statutory or Government organisation, the sub-Committee may arrive at conclusions and prepare such reports as they may consider necessary.
- (v) The reports of the sub-Committee shall be placed before the whole Committee for their consideration and approval.
- (vi) The Chairman of the Committee shall regulate the procedure and organisation of the work of the sub-Committee in such manner as he may consider necessary.

NOTE.—If a question arises as to which Statutory and Government organisations should come within the purview of the standing sub-Committee, it shall be referred to the Speaker whose decision shall be final.

DIRECTION 102

13. In Direction 102:—

- (a) in clause (1), after the words "Committee on Estimates", the words "or the Committee on Public Undertakings" shall be inserted.

(b) in the marginal heading, after the words "Estimates", the words "/Public Undertakings" shall be inserted.

DIRECTION 113B

14. In Direction 113B, for the figures and word "10.45 hours", wherever they occur, the figures and word "10.30 hours" shall be substituted."

S. L. SHAKDHER,
Secretary.

लोक सभा

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1967

संख्या 46/1/सी आई/67—निम्नलिखित पैरा, जो दिनांक 15 फरवरी, 1967 के लोक-सभा समाचार—भाग 2 में प्रकाशित हुआ था, एतद्वारा सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

संख्या 1992

लोक-सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के प्राचीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों में

संशोधन

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों (पांचवां संस्करण) के नियम 28, 283(1) और 389 के अनुसरण में, अध्यक्ष महोदय ने इन निर्देशों में निम्नलिखित संशोधन किये हैं :—

निर्देश 9

1. वर्तमान निर्देश 9 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :—

“(ग) गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों का बैलट (शलाका)

9. बैलट संबंधी प्रक्रिया—(1) उन सभी सदस्यों के नाम का, जो नियम 170 के अन्तर्गत सूचनाएं देंगे कि वे गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिये नियत दिन को संकल्प पेश करना चाहते हैं, बैलट किया जायेगा।
- (2) गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिये नियत प्रत्येक दिन के लिये पृथक्-पृथक् बैलट किया जायेगा।
- (3) बैलट करने के समय तथा स्थान की घोषणा समाचार—भाग 2 में की जायेगी।
- (4) जो सदस्य बैलट में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करेंगे, उन से बैलट की तारीख के पश्चात् दो दिन के अन्दर एक-एक संकल्प की सूचना देने की प्रार्थना की जायेगी।”

निर्देश 16

2. निर्देश 16 के खण्ड (चार) में, “चौबीस बंटें” शब्दों के स्थान पर “एक सप्ताह” शब्द रखे जायेंगे।

निर्देश 58

* * * *

निर्देश 65

* 4. * * * *

निर्देश 70

* 5. * * * *

*अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अंग्रेजी संस्करण में किये गये ये संशोधन हिन्दी संस्करण पर लागू नहीं होते।

6. निर्देश 96 के पश्चात्, शीर्ष (घ) में, “प्राक्कलन समिति तथा लोक लेखा समिति” शब्दों के स्थान पर “प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति तथा सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति” शब्द रखे जायेंगे।

निर्देश 96क

7. निर्देश 96क में :—

- (क) “प्राक्कलन समिति तथा लोक लेखा समिति” शब्दों के स्थान पर “प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति तथा सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति” शब्द रखे जायेंगे ;
- (ख) “नियम 311(1) तथा 309(1)” शब्दों तथा अंकों के स्थान पर “नियम 311(1), 309(1) तथा 312 ख (1)”, शब्द तथा अंक रखे जायेंगे।
- (ग) हाशिया शीर्षक में, “प्राक्कलन और लोक लेखा समिति” शब्दों के स्थान पर “प्राक्कलन, लोक लेखा और सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समितियों” शब्द रखे जायेंगे।

निर्देश 97

8. निर्देश 97 में :—

- (क) खण्ड (1) में “लोक लेखा समिति” शब्दों के पश्चात् “अथवा सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति” शब्द निविष्ट किये जायेंगे।
- (ख) खण्ड (2) और (3) में, “लोक लेखा” शब्दों के स्थान पर, जहाँ कहीं भी इनका प्रयोग हुआ हो, “लोक लेखा समिति अथवा सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति” शब्द रखे जायेंगे।
- (ग) हाशिया शीर्षक में, “लोक लेखा” शब्दों के पश्चात्, “सरकारी उपक्रमों संबंधी” शब्द निविष्ट किये जायेंगे।

निर्देश 97क

9. निर्देश 97क में :—

- (क) खण्ड (1) और (2) में, “लोक लेखा समिति” शब्दों के पश्चात्, जहां कहीं भी इनका प्रयोग हुआ हो, “अथवा सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति” शब्द निविष्ट किये जायेंगे।
- (ख) खण्ड (3) में, “लोक लेखा” शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं भी इनका प्रयोग हुआ हो, “लोक लेखा समिति अथवा सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति” शब्द रखे जायेंगे।
- (ग) हाशिया शीर्षक में, “लोक लेखा” शब्दों के पश्चात् “सरकारी उपक्रमों संबंधी” शब्द निविष्ट किये जायेंगे।

निर्देश 99

10. निर्देश 99 में :—

- (क) खण्ड (1) में, “लोक लेखा” शब्दों के स्थान पर “लोक लेखा समिति अथवा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति” शब्द रखे जायेंगे।
- (ख) खण्ड (1) और (2) में, “मंत्रालय” शब्द के पश्चात्, जहां कहीं भी इसका प्रयोग हुआ हो, “अथवा उपक्रम” शब्द निविष्ट किये जायेंगे।
- (ग) हाशिया शीर्षक में, “लोक लेखा” शब्दों के पश्चात् “/सरकारी उपक्रमों संबंधी” शब्द निविष्ट किये जायेंगे।

निर्देश 100

11. निर्देश 100 में :—

- (क) “लोक लेखा” शब्दों के पश्चात् “/सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी” शब्द निविष्ट किये जायेंगे।
- (ख) “भारत सरकार” शब्दों के पश्चात् “या किसी सरकारी उपक्रम” शब्द निविष्ट किये जायेंगे।
- (ग) हाशिया शीर्षक में, “लोक लेखा” शब्दों के पश्चात् “/सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी” शब्द निविष्ट किये जायेंगे।

निर्देश 101क

12. वर्तमान निर्देश 101क के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा :—

- 101क. “सांविधिक और सरकारी संगठनों की परीक्षा के संबंध में प्राक्कलन समिति की कार्य-संचालन प्रक्रिया,—उन सांविधिक तथा सरकारी संगठनों के, जो सरकारी

उपक्रमों संबंधी समिति के क्षेत्राधिकार में नहीं आते, प्राक्कलनों की परीक्षा करने के लिये प्राक्कलन समिति द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी :—

(एक) प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में प्राक्कलन समिति के गठन के पश्चात् प्रक्रिया नियमों के नियम 263(1) के अन्तर्गत प्राक्कलन समिति की सांविधिक तथा सरकारी संगठनों सम्बन्धी एक स्थायी उप-समिति नियुक्त की जा सकेगी।

(दो) उप-समिति के सदस्य सभापति द्वारा समिति के सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

(तीन) उप-समिति परीक्षाधीन सांविधिक अथवा सरकारी संगठन के प्राक्कलनों के संबंध में जानकारी मांग सकेगी या पदाधिकारियों को सुन सकेगी या कोई भी अन्य माध्य ले सकेगी।

(चार) किसी सांविधिक अथवा सरकारी संगठन के प्राक्कलनों की परीक्षा पूरी हो जाने पर, उप-समिति निष्कर्ष निकाल सकेगी और ऐसे प्रतिवेदन तैयार कर सकेगी जिन्हें वह आवश्यक समझे।

(पांच) उप-समिति के प्रतिवेदनों को सम्पूर्ण समिति के समक्ष उसके विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ रखा जायेगा।

(छः) समिति का सभापति उप-समिति के कार्य की प्रक्रिया और संगठन का ऐसी रीति से विनियमन करेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे।

टिप्पण :—यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि कौन से सांविधिक तथा सरकारी संगठन इस स्थायी उप-समिति के क्षेत्राधिकार में आने चाहियें, तो यह प्रश्न अध्यक्ष के समक्ष रखा जायेगा जिनका निर्णय अन्तिम होगा।”

निर्देश 102

13. निर्देश 102 में :—

(क) खण्ड (1) में, “प्राक्कलन समिति” शब्दों के पश्चात् “अथवा सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति” शब्द निविष्ट किये जायेंगे।

(ख) हाशिया शीर्षक में, “प्राक्कलन” शब्द के पश्चात् “/सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी” शब्द निविष्ट किये जायेंगे।

निदेश 113ख

14. निदेश 113ख में, "10-45 बजे" अंकों तथा शब्द के स्थान पर, जहां कहीं भी इतका प्रयोग हुआ हो, "10-30 बजे" अंक तथा शब्द रखे जायेंगे।"

श्यामलाल शर्मा,

मन्त्रि ।